प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय,

दिनांक–08.09.2023 (सं0–395)

उच्चतर प्रभार की स्वीकृति एवं कृत कार्रवाई

1. सिपाही से सहायक अवर निरीक्षक पद पर उच्चतर प्रभार

- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश सहपठित ज्ञापांक 5066 दिनांक 11.04.2019 द्वारा राज्य सरकार के सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जाने वाली सभी प्रोन्नतियाँ एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई की अनुमति नहीं है। फलस्वरूप बिहार पुलिस पदाधिकारियों के विभिन्न प्रोन्नति आधारित महत्वपूर्ण कोटि में बड़ी संख्या में रिक्ति उत्पन्न हो रही है।
- अतः इसके समाधान हेतु वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यहित में बिहार पुलिस के पदाधिकारी संवर्ग यथा–सहायक अवर निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों में योग्य पदाधिकारियों को कार्यकारी प्रभार दिए जाने का निर्णय गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या 10606, दिनांक 30.08.2023 के द्वारा संसूचित किया गया है। इस कार्यकारी प्रभार के फलस्वरूप राज्य सरकार के राजस्व पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
- बिहार पुलिस के सहायक अवर निरीक्षक के रिक्त पद पर कार्यहित में वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर कुल 2685 योग्य पाये गये सिपाहियों को अपने वर्तमान पदस्थापना वाले जिला/इकाई/अन्य कार्यलय में सहायक अवर निरीक्षक के रूप में उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिया गया।

प्रमुख 10 जिलें जहाँ सहायक अवर निरीक्षक के रूप में उच्चतर प्रभार पर प्रतिनियुक्ति की गयी है:–

जिला	सहायक अवर निरीक्षक के रूप में उच्चतर प्रभार पर प्रतिनियुक्ति की संख्या
पटना	996
गया	150
सारण	118
समस्तीपुर	101
बेतिया	77
रोहतास	70
भोजपुर	66
दरभंगा	62
सीतामढ़ी	60
नालन्दा	57

- अन्य पदाधिकारियों को विभिन्न इकाइयों एवं कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है।

2. सहायक अवर निरीक्षक से अवर निरीक्षक के पद पर उच्चतर प्रभार

- इसके अतिरिक्त शीघ्र हीं लगभग 3400 योग्य पाये गये सहायक अवर निरीक्षक को पुलिस अवर निरीक्षक के रूप में उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिये जाने की दिशा अंतिम रूप से जाँच की जा रही है। अतिशीघ्र आदेश निर्गत किया जाएगा।

XXXXXX